सूची

क्र.सं.	मद	पृष्ट सं.
1.	मिनट दर मिनट बैठक की कार्यवाही।	2
2.	परिचय एवं उद्देश्य।	3—4
3.	वर्तमान एजेंडा ।	5—6
4.	पिछले प्रेम बैठक (28.01.2019) के कार्यवृत्त पर मदवार टिप्पणी।	7—17

मिनट दर मिनट प्रेम बैठक की कार्यवाही

क्र.सं.	मद	अधिकारी	बजे से	बजे तक
1.	प्रेम ग्रुप के सदस्यों का स्वागत।	उप महाप्रबंधक (सा.)	11.00	11.05
2.	अध्यक्ष / प्रेम ग्रुप द्वारा अध्यक्षीय संबोधन।	महाप्रबंधक	11.05	11.15
3.	परिचालन संरक्षा के विभिन्न मामलों पर विश्लेषण (पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन)	मुख्य यातायात योजना प्रबंधक	11.15	11.45
4.	प्रेम ग्रुप सदस्य के वक्तागण :–			
	ईसीआरकेयू	अध्यक्ष	11.45	12.25
		महासचिव		
		अपर महासचिव		
		सहायक महासचिव		
	एससी / एसटी एशो0	जोनल अध्यक्ष	12.25	12.35
		जोनल सचिव		
	ओ0बी0सी0 एशो0	जोनल अध्यक्ष	12.35	12.45
		जोनल सचिव		
	ईसीआरपीओए	अध्यक्ष	12.45	12.55
		महासचिव		
	ईसीआरओए	अध्यक्ष	12.55	13.00
5.	वर्तमान एजेंडा पर विभागाध्यक्षों द्वारा चर्चा :	सभी विभागाध्यक्ष	13.00	13.15
6.	वर्तमान एजेंडा पर खुली चर्चा।	अध्यक्ष के अनुमति से	13.15	13.29
7.	धन्यवाद ज्ञापन।		13.29	13.30

परिचय

- प्रेम(PREM)–प्रबंधन में रेल कर्मचारियों की भागीदारी
- इसे रेल मंत्रालय स्तर पर वर्ष–1972 में एवं क्षेत्रीय रेल स्तर पर वर्ष–1977 में स्थापित किया गया था।
- भारतीय रेल में यह त्रिस्तरीय आधार पर कार्य करता है।
  1. रेलवे बोर्ड स्तर(श्रम प्रबंधन का कॉरपोरेट इंटरप्राइजेज समूह)
  2. क्षेत्रीय रेल स्तर
  3. मंडल रेल स्तर

<u>रेलवे बोर्ड स्तर</u>

- अध्यक्ष– अध्यक्ष रेलवे बोर्ड
- संयोजक– सचिवरेलवे बोर्ड
- प्रशासन की ओर से–सदस्य रेलवे बोर्ड,सलाहकार एवं कार्यकारी निदेशक
- कर्मचारी कीओर से–एआईआरएफ एवं एनएफआईआर के चार–चार प्रतिनिधि
- रेलवे अधिकारी संघ के –दो प्रतिनिधि
- रेलवे प्रोमोटी अधिकारी संघ के–दो प्रतिनिधि

<u>क्षेत्रीय रेल स्तर</u>

- अध्यक्ष– महाप्रबंधक
- सचिव – उप महाप्रबंधक/सामान्य
- प्रशासन की ओर से – अपर महाप्रबंधक एवं सभी प्रधान विभागाध्यक्ष
- कर्मचारी की ओर से –ईसीआरकेयू(प्रभावित यूनियन) के चार प्रतिनिधि
- रेलवे अधिकारी संध के –दो प्रतिनिधि
- रेलवे प्रोमोटी अधिकारी संघ के –दो प्रतिनिधि
- एससी/एसटी संध के–दो प्रतिनिधि
- ओबीसी संध के–दो प्रतिनिधि
- आरपीएफ संध के–दो प्रतिनिधि

<u>मंडल रेल स्तर</u>

- अध्यक्ष– मंडल रेल प्रबंधक
- सचिव – वरि0 मंडल कार्मिक अधिकारी /मंडल कार्मिक अधिकारी
- प्रशासन की ओर से –अपर मंडल रेल प्रबंधक एवं सभी शाख अधिकारी
- कर्मचारी की ओर से –ईसीआरकेयू(प्रभावित यूनियन) के चार प्रतिनिधि
- रेलवे अधिकारी संध के–दो प्रतिनिधि
- रेलवे प्रोमोटी अधिकारी संध के –दो प्रतिनिधि

<u>वर्ष 2017 में क्षेत्रीय रेल स्तर पर आयोजित प्रेम बैठक</u>

- प्रथम बैठक : 24 मार्च 2017
- द्वितीय बैठक : 24 अगस्त 2017
- तृतीय बैठक : 28 दिसंबर 2017

वर्ष 2018 में क्षेत्रीय रेल स्तर पर आयोजित प्रेम बैठक

- प्रथम बैठक : 15 मई 2018
- द्वितीय बैठक : 11 सितंबर 2018
- तृतीय बैठक : 27 नवम्बर 2018

वर्ष 2019 में क्षेत्रीय रेल स्तर पर आयोजित प्रेम बैठक

- प्रथम बैठक : 28 जनवरी 2019
- द्वितीय बैठक : 10 जुलाई 2019

उद्देश्य

- रेलवे संगठन की व्यवहारिक कार्यक्षमता को विकसित करने और रेलवे की सेवा प्रदाता संगठन की छवि बनाये रखने के मुख्य उद्देश्य से प्रबंधन मे श्रमिकों की बेहतर और सुव्यवस्थित भागीदारी सुनिश्चित करना।
- रेलवे संगठन के संचालन और गठन करने हेतु विचारों का प्रमाणित एवं निर्वाध रुप से आदान–प्रदान करना।
- निवेश कार्यक्रमों खासकर आवास और कल्याण गतिविधियों का मूल्यांकन।
- नोटः कर्मचारी मामलों पर विमर्श तब तक नहीं हो सकता जब तक कि संगठन को समग्र उत्पादकता के साथ नहीं जोड़ा जाय।

प्रबंधन मे श्रमिकों की भागीदारी

- 1917 में यूनाइटेड किंगडम में **बहीट्ले** समिति ने अनुशंसा की थी कि निम्न के विमर्श के लिए कर्मचारियों को भाग लेने का अवसर देना चाहिएः–
- संगठन, कर्मचारी और समुदाय के सामान्य लाभ के लिए उत्पादकता बढ़ाने हेतु।
- उत्पादकता की प्रकिया में कर्मचारी को संगठन में उनकी भूमिका को बेहतर रुप से समझने के लिए।
- औद्योगिक शांति, बेहतर संबंध और सहयोग प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों की स्वयं को अभिव्यक्त करने की इच्छा को संतुष्ट करने के लिए।
- रेलवे में ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों को लंबे समय से साझा बनाते हुए श्रमिकों की भागीदारी निम्न विभिन्न क्षेत्रों के लिए रही हैः–
- कर्मचारी कल्याण निधि समिति
- आवास समिति
- रनिंग रुम सलाहकार समिति
- कैंटीन प्रबंधन समिति
- हॅास्पीटल विजिटिंग समिति
- श्रमिक सलाहकार समिति
- रेलवे इंस्टीट्यूट और क्लब का कार्यकारी समिति
- वर्कशॉप उत्पादकता परिषद्
- इसके अतिरिक्त रेलवे बोर्ड, क्षेत्रीय रेल और मंडलों में प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, प्रबंधन और श्रमिकों की सामूहिक उद्यम समूहका गठन कर लिया गया है जिसे अब **प्रबंधन में रेलवे कर्मचारियों की भागीदारी (प्रेम) कहा जाता है।**

चर्चा का विषय

"परिचालन संरक्षा के विभिन्न मामलों पर चर्चा"

क्र.सं.	दुर्घटना के विभिन्न मदें
1.	**07.02.2019 MGS Divi.**- During shunting two wheels of one empty coach number ECLWA CCN15115 got derailed on open trap of point number 920A at DDU yard of MGS division at 20.40 hrs. • Shunting staff failed to ensure proper coupling of coaches at the time of attachment resulted coach uncoupled and roll down and got derailed on open trap point number 920A.
2.	**15.02.2019 SEE Divi.-** Engine and two wagons of Train no. Up IDBR got derailed on Point No. 103 while leaving BJU yard at 03.20 hrs. • Station Master issued T/369(b) without proper setting and locking of point. LP and ALP also failed to see proper setting of point for his train.
3.	**23.03.2019 MGS Divi-** During unloading of ballast in block period from 11.20 to 12.50 hrs. HWH end trolley of 15ht wagon derailed at 12.10 hrs in SEB yard. • Engineering Department failed to supervise proper unloading and derailment took place due to uneven unloading.
4.	**03.04.2019 SEE Divi-** One wagon No. 22091471385 SCR BOXN HL derailed after passing starter of Train No. DN BOXN while it was leaving NYO yard. • Goods Supervisor/Nayagawn failed to ensure full unloading resulted wagon derailed due to uneven load of stone metal in wagon.
5.	**05.04.2019 MGS Divi-** During shunting of load from DN Marshalling yard line -8 to DN departure yard line -7 rear 32th wagon HWH end trolley all wheel got derailed at 13.45 hrs near point no.22 D/end at DDU Yard. • Siding authority UCR/NR failed to ensure full unloading in from the derail wagon.
6.	**16.05.2019 DNR Divi.-** At LKR station T-369(3b) was serve to LP of Train No. 53403 (JMP-GYA) Passenger for towards GAYA but train proceed towards Patna. • T-369(3b) was issued by on duty SM without ensuring correct setting and locking and facing points towards GAYA. Point was set for main line towards Patna.
7.	**23.05.2019 SEE Divi-**Train No. 55022 arrived at 09:00 hrs in Line No.01 at GRL station. After arrival of 55022 on duty SM alter the rear point as per rule. Train No. 12566 Dn was planned for precedence over 55022 at this station. After TES of the Train No. 12566 Dn from BNR on duty SM GRL taken off the departure signals i.e Adv starter and starter signal of Dn main line for the said train but at the time of lowering the Home signal SM give the Dn home signal of line No. 01 instead of line no.02 while 55022 Dn was already standing in line No. 01. Intact route lit up on EI panel including overlap. Dn home signal did not take off for line no. 01 because of it was already occupied. There after on duty SM lower the calling on signal on same route in same line. • On duty Station Master failed to observed GR 3.36 and Home signal take up for line no. 01 which was already occupied by train no. 55022. But signal was not OFF due to occupied line then SM take up calling on Home signal for line no. 01.

क्र.सं.	दुर्घटना के विभिन्न मदें
8.	**23.05.2019 SPJ Divi.-** Train no 53132 while entering SPJ yard from KPGM side stopped near home signal due to ACP at 10.26 Hrs.. Train restarted after attending ACP at about 10.31Hrs.. In the meanwhile, home signal was put back by on-duty SM and starter for another train No. 13043 was taken off which was standing on line no. 6 of SPJ. This train started at 10.31 towards DBG side. Route for both the trains was common near point no 382. However, the trains were stopped by both the drivers. • On duty SM violated GR&SR 3.36. He put back Home signal at ON without ensuring the eject position of incoming train and also without informing the LP.
9.	**27.05.2019 DNR Divi.-** On 27.05.2019 Train No. 63231 arrived in up loop line at 00.35 hrs. of CSA station. Up intermediate starter, up advance starter and IBH was defective. T 369 3b was issued for Train no. 12150 up to pass defective up intermediate starter up advance starter and IBH signal between CSA-GMR. T 369 3b was delivered to train no. 63231 imp lace of 12150 UP. Loco Pilot of train no. 63231 without seeing the contents of T 369 3b started his train and got derailed on open Trap point no. 53 B. • LP of Train No. 63231 passed loop Starter in ON condition without proper authority. He received T-369(3b) which was for the Train no. 12150, not for his train and on duty Porter also failed to delivered T-369(3b) to the proper train's LP and without ensuring proper setting of the point he exhibited green hand signal to the LP of 63231.
10.	**04.06.2019 MGS Divi.-** Train no. BOXN/PRI-31234 started after lowering of Dn-loop Str at 07:31 hrs from Kasta/Dn-Loop line at 07:33 hrs. and 05th wagon from train engine no. ECR-22101139533 got derailed with all 08 wheels near point 31 and blocking Dn/Main line and loop line. • Unloading authority of coal failed to fully unload coal from the shed wagon.
11.	**07.06.2019 DHN Divi.-** Derailment of one BOXN/E by 04 wheels HWH end trolley, while entering DN EC BOXN/E on line No.2 Dn Yard/GMO after passing Point No.612 crossover . UCPD authority failed to fully • Unload from the shed wagon resulted derailment took place due to uneven unloading.
12.	**09.06.2019 DNR Divi.-** Derailment of wagon no.WCR 21161910380 of train no. DC/UCPD on dt.09.06.19 at 01.20 hrs at SYGN loop line . • Loading authority failed to load full. Due to uneven loading derailment took place.
13.	**14.06.2019 DNR Divi**.- Derailment of NR SLR 143715 of EC/COG /54273 at point no. 57A at ARA 2nd loop at 02.50 hrs. on 14.06.19. • LP failed to observed signal displayed to him. He wrongly observed the signal of adjacent line.
14.	**23.06.2019 SEE Divi.-** During shunting work in DGA yard of T/ No.DN DGA/BT, one BOBYN No. 70020826638 ER which was partially loaded between two loaded wagons, got derailed by one trolley Sonpur- end near Point No. 58. Due to this DN movement of Line No. 3 & 4 affected. • Derailmen t took place due to uneven load in shed wagon which was due to either partial loading or unloading.
15.	**26.06.2019 SPJ Divi.-** Loco No. 16260/ SPJ derailed in holding line SHC while going to handle the rake of T/ No. 15280 from pit line at SHC Yard at 21.10 hrs. • Station Staff failed to clamp non-interlocked point which causes two routes. Derailment took place due to two routes.

पिछला प्रेम बैठक (दिनांक 28.01.2019) के कार्यवृत पर मदवार टिप्पणी :–

क्र.सं.	मद	विभागाध्यक्ष	अभियुक्ति
1.0	**श्री विश्व मोहन सिंह , अध्यक्ष / ईसीआरकेयू**		
1.1	कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के समय पेंशन की भुगतान के लिए विजिलेंस शिकायतों के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की शिकायतों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए।	प्रमुकाधि	इस संबंध में रेलवे बोर्ड से प्रदत्त निर्देशों का पालन किया जाता है।
1.2	सेवानिवृत्ति पर पेंशन भुगतान के समय नॉमनि को नही बदला जाय।	प्रमुकाधि	इस संबंध में रेलवे बोर्ड से प्रदत्त निर्देशों का पालन किया जाता है।
1.3	सेवानिवृत्ति पर पेंशन भुगतान से संबंधित कागजात बैंक में निश्चित समय पर पहुंचना सुनिश्चित किया जाय।	प्रमुकाधि प्रविस	यह कार्मिक विभाग से संबंधित नही है। इस संबंध में सभी मंडलों से बात कर त्वरित निपटान की जा रही है।
1.4	कर्मचारियों का अवकाश विवरण वेतन पर्ची पर अद्यतन रखा जाना सुनिश्चित किया जाय ताकि अवकाश अग्रिम भुगतान में देरी से बचा जा सके।	प्रमुकाधि	कर्मचारियों के Pay Slip पर अवकाश संबंधी विवरण का नियंत्रण CRIS द्वारा किया जा रहा है।
1.5	वॉकी–टॉकी ,लाइनों पर लगे बोर्ड ,चूना का निशान आदि ठीक प्रकार से होना चाहिए।	प्रमुसिदूइं प्रमुइं	वॉकी–टॉकी ठीक प्रकार से रखने के लिए दिशा– निर्देश दिया गया है। वॉकी–टॉकी ,लाइनों पर लगे बोर्ड ,चूना का निशान ठीक प्रकार से लगाया जाता है और इसके लिए समय–समय पर संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिये जाते है।
1.6	फॉग सिगनल कर्मचारी समुचित रूप से प्रशिक्षित होना चाहिए।	प्रमुपरिप्र	रेलवे के नियमानुसार ही फॉग सिगनल कर्मचारी को समुचित रूप से प्रशिक्षित कर कार्य पर लगाया जाता हैं।
1.7	मेल एक्सप्रेस एवं पेंसेंजर गाड़ियों के ड्राइवर एवं गार्ड का क्रू चेंज एक ही प्वांइट पर होने चाहिए।	प्रमुपरिप्र प्रमुयांई प्रमुविइं	सामान्यतः यही व्यवस्था रेलवे में लागू है। गार्ड का लिंक डायग्राम एवं लोको पायलट का क्रू लिंक डायग्राम अलग–अलग होता है। एक ही प्वांइट पर क्रू चेंज करने हेतु इस संबंध में परिचालन विभाग से वार्ता चल रही है। गार्ड का क्रू चेंज प्वांइट परिचालन

			विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है तथा क्रू का लिंक संबंधित विभाग द्वारा बनाये जाने के पश्चात परिचालन विभाग का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। ऐसे में परिचालन विभाग द्वारा दोनो का क्रू चेजिंग प्वाईट एक हो निर्धारित किया जा सकता है।
2.0	**श्री एस.एन.पी.श्रीवास्तव, महासचिव/ईसीआरकेयू**		
2.1	अर्पण योजना ठीक प्रकार से लागू किया जाय।	प्रमुकाधि	अर्पण योजना सही तरीके से लागू है।
2.2	रेलवे एवं बैंक के अधिकारियों के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक कर पीपीओ पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।	प्रमुकाधि प्रविस	यह लेखा विभाग से संबंधित है। इन मदों के लिए सभी नोडल बैकों के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक हेतु समय निर्धारित किया गया है।
2.3	रोग से ग्रसित कर्मचारियों के मृत्यु के उपरान्त पेंशन के भुगतान की समय सीमा 60 दिन या 90 दिन निर्धारित की जाय।	प्रमुकाधि	यह नीतिगत मामला है। किसी भी कर्मचारी की मृत्यु के उपरांत उनका निपटारा राशि एवं पेंशन भुगतान हेतु त्वरित कार्रवाई की जाती है।
2.4	पेंशनरों के भूगतान में 01.01.2016 से लंबित मामलों को बैंक द्वारा यथाशीघ्र निपटान सुनिश्चित किया जाय।	प्रमुकाधि प्रविस	कार्मिक विभाग द्वारा अर्पण योजना के तहत यथाशीघ्र निपटान किया जा रहा है। इन मदों के लिए सभी नोडल बैकों के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक हेतु समय निर्धरित किया गया है।
2.5	भविष्य निधि अग्रिम का भुगतान धनबाद मंडल में 04 दिन में निपटा दिया जाता है; इसे पूरे पूर्व मध्य रेल पर लागू किया जाय।	प्रमुकाधि प्रविस	Employee Charter के अनुसार कार्य किया जा रहा है। भविष्य निधि अग्रिम का भुगतान लेखा विभाग में प्राप्त करने के पश्चात अधिकतम 03 कार्य दिवस में निपटारा कर दिया जाता है।
2.6	अवकाश सीट के अद्यतन किए जाने के मामलें में दो कार्यालयों के बीच तालमेल का अभाव है इसे 05 वर्ष मे एक बार लेखा शाखा द्वारा विधिक्षा कर दी जाय ताकि लीव इन कैशमेंट सुविधाजनक हो।	प्रमुकाधि प्रविस	विधिक्षण प्रत्येक वर्ष किया जाता है। संबंधित कार्यालय द्वारा अवकाश सीट को अद्यतन कर प्रस्तुत लीव इन कैशमेंट को लेखा कार्यालय द्वारा समय से विधिक्षा कर दी जाती है।
2.7	ऐसा प्रयास किया जाय की रन ओवर की घटना शून्य हो जाय।	प्रमुपरिप्र प्रमुसुआ	ऐसा प्रयास किया जा जा रहा है। स्टेशन पर गाड़ियों के आगमन एवं प्रस्थान के समय गाड़ियों को सतर्कता पूर्वक पास कराया जाता हैं एवं यात्रियों की जागरुकता हेतु अभियान चलाकर जागरुक किया जाता हैं तथा उद्घोषणा

		प्रमुइं	द्वारा यात्रियों को सतर्क किया जाता हैं। संरक्षा नियमों के पालन के लिए कर्मचारियों के बीच समय–समय पर जागरूकता फैलाया जाता है।
2.8	क्रू को गाड़ियों के आगमन समय से तालमेल कर बुलाया जाय।	प्रमुपरिप्र प्रमुयांई प्रमुविइं	परिचालन नियमावली के अनुसार ही क्रू को कॉल किया जाता है। तकनिकी कारणों से इस व्यवस्था पर असर होना स्वाभाविक है। क्रू को गाड़ियों के आगमन समय से तालमेल कर बुलाया जाता है। वर्तमान परिचालन के अनुसार गाड़ियो का Running Status देख कर दो घंटे पूर्व क्रू को बुलाया जाता है।
2.9	रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार क्रू के रनिंग रूम में आगमन से 45 मिनट के अंदर भोजन उपलब्ध करा दिए जाने के प्रावधान का क़ड़ाई से पालन किया जाय तथा कुकिंग में प्रशिक्षित लोगो को ही लगाया जाना सुनिश्चित किया जाय तथा साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाय।	प्रमुपरिप्र प्रमुयांई प्रमुविइं	रनिंग रूम नियमावली के अनुसार ही कार्य संपन्न हो रहा है। इसे सुनिश्चित करने हेतु समय समय पर रनिंग रूम का निरीक्षण मुख्यालय एवं मंडल स्तर के अधिकारियों और सुपरवाइजर द्वारा किया जाता है। मंडल को इस आशय का पत्र लिखा गया है। रेलवे बोर्ड द्वारा निर्देशित आदेशों का अनुपालन किया जाता है। जहां सब्सीडाईज मील प्रणाली है प्रशासन एवं रनिंग कर्मचारियों के सहमति से लागू है वहॉ पर 45 मिनट के अन्दर भोजन उपलब्ध करा दिया जाता है। किंतु जहां क्रू के इच्छा अनुसार भोजन बनाना पड़ता है वहां पर 45 मिनट की समय सीमा पूर्णतः प्रभावी नहीं हो पता है।
3.0	**श्री डी.के.पाण्डेय, अपर महासचिव, ईसीआरकेयू**		
3.1	धनबाद मंडल पूर्व मध्य रेल में आय के मामले में एक विशिष्ट स्थान रखता है यह सब कर्मचारियों के कड़ी मेहनत का परिणाम है अतः ओवरा–सिंगरौली खण्ड की कर्मचारियों से जुड़ी आधारभूत संरचनाओं की खस्ताहाली को ध्यान में रखते हुए इन्हें दुरूस्त करने के लिए एक विशेष पैकेज अवश्य दिया जाय।	प्रमुकाधि प्रमुइं	यह नीतिगत मामला है। ओबरा–सिंगरौली खण्ड के उन्नय के तहत निम्न कार्य होना है– (i) हिल एवं नोर्दन कॉलोनी चौपन एवं ओबरा में रू0 2,56,71.00/– मूल्य का कार्य प्रस्तावित है। (ii) KRSL, RNQ, KRLR एवं ओबरा में water supply एवं RNQ KRLR में pressure filter तथा 04 RCC टंकी ओबरा में लगाने हेतु रू0

		मंरेप्र धनबाद	4,50,00,000/– का कार्य प्रस्तावित हैं। (iii) चोपन में 04 Deep tube well, pipe line एवं RCC tank लगाने के लिए तथा स्टेशन रोड से ओबरा डैम तक सड़क उन्नयन हेतु रू0 2,54,82,000/– का कार्य प्रस्तावित है। (iv) चोपन में 35 यूनिट रेल आवास निर्माण का कार्य 2018–19 में स्वीकृत हो चुका है। निविदा आवंटित हो चुका है। नोट किया गया ।
4.0	**श्री एस.एस.डी.मिश्रा, सहायक महासचिव/ईसीआरकेयू**		
4.1	कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका का 05 वर्ष में एक बार विधिक्षा कर दिया जाना चाहिए।	प्रमुकाधि प्रविस	विधिक्षण प्रत्येक वर्ष किया जाता है। कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका 05 वर्ष में एक बार विधिक्षा हो रहा है।
5.0	**महेन्द्र कुमार, जोनल अध्यक्ष, एस.सी एण्ड एस.टी एशोसिएशन**		
5.1	पीएफ अग्रिम के भुगतान हेतु समय सीमा निर्धारित किया जाय।	प्रमुकाधि प्रविस	Employee Charter के अनुसार कार्य किया जा रहा है। भविष्य निधि अग्रिम का भुगतान लेखा विभाग में प्राप्त करने के पश्चात अधिकतम 03 कार्य दिवस में निपटारा कर दिया जाता है।
5.2	लाईन कर्मचारियों का अवकाश सीट अद्यतन किया जाना चाहिए।	प्रमुकाधि	अवकाश सीट अद्यतन करना एक सतत् रूप से चलने वाली प्रक्रिया है, जो किया जा रहा है।
5.3	पेट्रॉलिंग में एक साथ दो पेट्रॉलमैन लगाया जाय।	प्रमुइं	पेट्रॉलिंग में एक साथ दो पेट्रॉलमैन लगाया जाता है।
5.4	यह सुनिश्चित किया जाय कि पेट्रॉलमैन शॉर्टकट विधि न अपनाए।	प्रमुइं	यह सुनिश्चित करने के लिए पेट्रॉलमैन को जी0पी0एस0 दिया गया है जिसकी मॉनिटरिंग विभिन्न स्तरों पर की जाती है और समय–समय पर कांउसलिंग भी की जाती है।
6.0	**श्री आर.एन.पासवान, जोनल सचिव एस.सी एण्ड एस.टी एशोसिएशन**		
6.1	कर्मचारी के सेवानिवृत्ति के समय क्वार्टर टेक ओवर कर लिया जाना	प्रमुइं	कर्मचारी के सेवानिवृति के समय रेलवे क्वार्टर का टेक ओवर किया जाता है

	सुनिश्चित किया जाय।		और इसके पश्चात एन.ओ.सी. जारी किया जाता है।
6.2	असामाजिक तत्वों द्वारा विभिन्न प्रकार के माध्यमों का उपयोग कर गाड़ियों के सिगनल लाल कर दिया जाता है। ऐसे स्टेशनों को चिन्हित कर सुरक्षा बढाई जाय।	प्रमुसिदूइं प्रमुसुआ	असामाजिक तत्वों के विरूद्ध रेसुब के द्वारा मुहिम चलाकर कानूनी कार्रवाई की जाये। रेसुब द्वारा अधिक से अधिक प्रयास किया जा रहा हैं तथा इस तरह की सूचना प्राप्त होने पर तुरन्त कार्रवाई की जाती हैं।
6.3	वॉकी – टॉकी को दुरूस्त रखा जाय ।	प्रमुसिदूइं	अनुपालन किया जायेगा।
6.4	पटना से गया की ओर खुलने वाली गाड़ियों के लिए गार्ड द्वारा सिगनल देखने में सुविधा के मद्देनजर रिपीटर सिगनल लगाया जाय।	प्रमुसिदूइं प्रमुपरिप्र	मानक सिगनलों से अधिक सिगनल लगाने पर ड्राईवरों एवं गार्डो में confusion हो सकता है। रिपीटर सिगनल भौगोलिक स्थिती के कारण अत्यंत जरूरी होने पर लगाया जाता है। अतः इस पर सभी परिस्थितियों को घ्यान में रखते हुए विचार किया जायेगा। इस संबंध में वरिष्ठ मंडल सिगनल एवं दूरसंचार इंजी0/दानापुर को पत्र लिखा गया है।
7.0	**श्री पी.के.सिंह, अध्यक्ष, ईसीआर ओबीसीआरईए**		
7.1	नया पेंशन योजना समाप्त किया जाय तथा पुराना पेंशन योजना पुनः बहाल किया जाय । इस मुद्दे को उच्च स्तर पर उठाया जाय।	प्रमुकाधि प्रविस	यह नीतिगत मामला है। इस संबंध में रेलवे बोर्ड से किसी भी प्रकार का सूचना/ आदेश ,लेखा कार्यालय को प्राप्त नही हुआ है।
7.2	पेंशन भुगतान हेतु सेवानिवृत्त कर्मचारियों के दस्तावेज 07 दिनों के भीतर भेजवाया जाय । इस संबंध में सोनपुर, समस्तीपुर मंडल में काफी सुधार की आवश्यकता है।	मंरेप्र सोनपुर, मंरेप्र समस्तीपुर प्रविस	पेंशन भुगतान हेतु सेवानिवृत्त कर्मचारियों के दस्तावेज 07 दिनों के अंदर भेजवाने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। चुकी पीपीओ मुख्यालय स्तर से प्रतिहस्ताक्षरित करवाने के पश्चात दुबारा वापस प्राप्त होने पर भेजी जाती है, इस कारण थोड़ा समय लगना स्वाभाविक है एवं अब इसे त्वरित निष्पादन का प्रयास किया जा रहा है। पेंशन भुगतान हेतु सेवानिवृत्ति होने वाले कर्मचारियों को सभी दस्तावेज समापक भुगतान करने के दिन ही प्रदान कर दी जाती है। इस संबंध में सभी मंडलों से बात कर त्वरित निपटान की जा रही है।

		प्रमुकाधि	सोनपुर एवं समस्तीपुर मंडल को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किये गये हैं।
7.3	पीएफ अग्रिम हेतु ऑन लाईन व्यवस्था किया जाय तथा इसके लिए सिंगल विंडो पद्धति अपनाई जाय।	प्रमुकाधि प्रविस	यह नीतिगत मामला है। वर्तमान में पीएफ अग्रिम IPAS में की गयी व्यवस्था के अनुसार पारित किया जाता है। जहां तक सिंगल विंडो पद्धति अपनाने की बात है तो यह एक नीति मामला है, जिसकें लिए उच्च स्तर पर तथा CRIS से संर्पक स्थापित करना होगा।
7.4	लाईनों की पेट्रॉलिंग हेतु लगातार एक साथ दो पेट्रॉलमैन को लगाया जाय।	प्रमुइं	लाइनों की पेट्रोलिंग हेतु अलग–अलग की बीट में 02 पेट्रोलमैन से पेट्रोलिंग का कार्य करवाया जाता है।
7.5	गाड़ी परिचालन से संबंधित बोर्डो पर चमकीला पट्टी लगाया जाय।	प्रमुसिदूइं प्रमुपरिप्र	प्रावधान के अनुसार इसे लगाया जाता है। चमकीला पट्टा लगा रहता है।
7.6	इंजन पर लगे संरक्षा उपकरण सही स्थिति में होने चाहिये।	प्रमुपरिप्र प्रमुयांई प्रमुविइं	इंजन पर लगे संरक्षा उपकरण सही स्थिति में होते है और इसे बनाये रखने के लिए मुख्यालय एवं मंडल स्तर के अधिकारियों और सुपरवाइजर द्वारा लगातार निरीक्षण किया जाता है। पूमरे के सभी डीजल शेडों में संरक्षा उपकरण लगे है इसकी सूचना प्रतिमाह संरक्षा विभाग को दी जाती है। सभी लोको शेडो के अनुरंक्षण एवं परिचालन कर्मचारियों को इंजन पर लगे संरक्षा उपकरण में किसी प्रकार की कमी होने पर इंजन को ट्रेन काम करने के लिए नहीं निकालने का सख्त निर्देश जारी है।
7.7	सभी पटाखे /फॉग डिवााईस सही स्थिति में होने चाहिए।	मुसंधि	सभी पटाखें ओवर ड्यू होने पर बदल दिए जाते हैं। फॉग डिवाईस में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसका मरम्मत अथवा बदल दिया जाता है।
7.8	एक्सप्रेस गाड़ियों के आगे पैसेंजर या माल गाड़ी नहीं चलाया जाय।	प्रमुपरिप्र	गाड़ी का परिचालन वरीयता शिड्यूल के अनुकूल ही चलाने का प्रयास किया जाता है।
7.9	गाड़ियों में लोडिंग एवं अनलोडिंग न्यूनतम समय में किया जाना चाहिए।	प्रमुपरिप्र प्रमुवाप्र	इसका घ्यान रखा जाता है। गाड़ियों में पार्सल की लोडिंग एवं अनलोडिंग न्यूनतम समय में ही किया जाता है। इस संबंध में निर्देश जारी किए

			जा चुके है। लोडिंग एवं अनलोडिंग के मद पर यदि ट्रेन का विलंबन स्थापित होता है तो संबंधित कर्मचारी के विरूद्ध कार्रवाई भी की जाती हैं लोडिंग–अनलोडिंग का कार्य निर्धारित समय से अधिक समय लेने का केस सामान्यतः बहुत ही कम है। मालगाड़ियों में लोडिंग एवं अनलोडिंग पार्टियों द्वारा किया जाता है। यद्यपि Free Time के बाद उन्हें शुल्क (DC) भुगतान करना होता है। तथापि उन्हें निर्देशित रहता है कि न्युनतम अवधि में लोडिंग एवं अनलोडिंग पूरा कर रेक को रिलिज करें। विलंबन की प्रवृति को निरूत्साहित करने के लिए दंडात्मक विलंबन शुल्क भी वसूला जाता है।
7.10	सोनपुर मंडल के चिकित्सा एवं लेखा विभाग में बेहतर समन्वय की परम आवश्यकता है । अतः इस पर ध्यान देने की जरूरत है।	मंरेप्र सोनपुर प्रमुचिनि प्रविस	ध्यान दिया गया है। ध्यान दिया गया है। वर्तमान में सोनपुर मंडल के चिकित्सा एवं लेखा विभाग के बीच बेहद बेहतर समन्वय चल रहा है, जिसके कारण इस विभाग में चिकित्सा विभाग का कोई भी नियमानुसार कार्य लंबित नहीं रहता है। यह समन्वय भविष्य में भी सुनिश्चित की जाएगी।
8.0	**श्री दिनेश शर्मा , महासचिव, ईसीआर ओबीसीआरईए**		
8.1	सेवा पुस्तिकाओं को ऑन लाईन की जाये।	प्रमुकाधि प्रविस	यह नीतिगत मामला है। सेवा पुस्तिकाओं को ऑन लाईन करने के संबंध में किसी प्रकार का आदेश निर्गत नहीं किया गया हैं।
8.2	ग्रुप सी एवं डी कर्मचारियों के रेलवे क्वार्टर एवं बिजली का बिल नियमित रूप से आने चाहिए। सेवानिवृत्ति के समय रेलवे क्वार्टर का टेक ओवर किया जाना सुनिश्चित किया जाय तथा अनियमित बिजली बिल पर कड़ाई से रोक लगाई जाय ताकि सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारियों पर भुगतान का बोझ न पड़े।	प्रमुइं प्रमुविइं सभी मंरेप्र	कर्मचारी के सेवानिवृति के समय रेलवे क्वार्टर का टेक ओवर किया जाता है और इसके पश्चात एन.ओ.सी. जारी किया जाता है। नोट किया गया। सेवानिवृत्ति के समय रेल क्वाटर का टेक ओभर सुनिश्चित की जाएगी। **–मंरेप्र धनबाद** विधुत विभाग के ग्रुप 'सी' एवं ग्रुप 'डी' कर्मचारियों के रेलवे क्वाटर में बिजली का बिल नियमित रूप से कटौती की जाती है, ताकि किसी भी रेल कर्मचारी का सेवानिवृति के समय अनियमित

			बिजली बिल का बोझ न पड़े एवं इंजी. विभाग द्वारा कर्मचारियों के सेवानिवृति के समय आवास अधिग्रहण किया जाता है। **–मंरेप्र समस्तीपुर** ग्रुप 'सी' एवं ग्रुप 'डी' कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति पर समय से रेल आवास टेक ओवर कर लिया जाता है एवं किसी तरह का भुगतान का बोझ नही दिया जाता है।– **मंरेप्र मुगलसराय** सेवानिवृत्ति के समय रेलवे क्वार्टर का टेक ओवर किया जाता है। इसके उपरांत NOC जारी किया जाता है। **–मंरेप्र सोनपुर**
8.3	पीएफ अग्रिम निकालते समय नोमनी का नाम बार बार नहीं लिखा जाना चाहिए।	प्रमुकाधि प्रविस	यह लेखा विभाग से संबंधित है। मुख्यालय में बार–बार नोमनी का नाम नही मांगा जाता है।
8.4	पीएफ अग्रिम निकालने के लिए कार्मिक विभाग के सीरियल का लेखा विभाग द्वारा पालन किया जाना चाहिए।	प्रमुकाधि प्रविस	यह लेखा विभाग से संबंधित है। मुख्यालय भविष्य निधि अनुभाग में प्राप्त भविष्य निधि अग्रिम आवेदन के क्रम को ध्यान में रखते हुये पारित किया जाता है।
8.5	भविष्य निधि का कम्प्यूटराइजड फार्म लागू किया जाय।	प्रमुकाधि प्रविस	यह लेखा विभाग से संबंधित है। इसे नोट किया गया। इस मद को उच्च अधिकारी के घ्यानाकर्षण में लाया जाएगा।
8.6	छुट्टी का विवरण अद्यतन रखा जाय।	प्रमुकाधि	अवकाश सीट अद्यतन करना एक सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है, जो किया जा रहा है।
8.7	फूट प्लेट में वरिष्ठ अधिकारी के एवज में कनिष्ठ अधिकारी को नही भेजना चाहिए।	प्रमुपरिप्र प्रमुयांई प्रमुविइं प्रमुसिदूइं	अधिकारियों और सुपरवाइजरों का निर्धारित शिड्यूल है और इसी के अनुसार निरीक्षण किया जाता है। संरक्षा विभाग द्वारा फूट प्लेट से संबंधित जारी पत्र के अनुसार ही अधिकारियों के द्वारा फूट प्लेटिंग की जाती हे। नोट किया गया। नोट किया गया।
8.8	क्रू एवं उनके सुपरवाजरों के बीच समन्वय सौहार्दपूर्ण होने चाहिए।	प्रमुपरिप्र प्रमुयांई प्रमुविइं	निरीक्षण के दौरान कांउसिलिंग किया जाता है। क्रू एवं उनके सुपरवाइजरों के बीच समन्वय सौहार्दपूर्ण रखा जाता है। नोट किया गया।

8.9	गार्ड एवं ड्राइवर के अलावा अन्य परिचालनिक कर्मचारियों के लिए भी श्वास जांच की व्यवस्था होनी चाहिए।	प्रमुपरिप्र प्रमुयांई प्रमुविइं	आवश्यकता अनुसार ऐसा जांच किया जाता है। श्वास जॉच रेलवे बोर्ड द्वारा निर्देशित आदेशों के अनुसार किया जाता है। नोट किया गया।
9.0	**श्री प्रभात रंजन, महासचिव/ ईसीआरपीओए**		
9.1	सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के क्वार्टर टेक ओवर करने की जिम्मेदारी उनके पुल होल्डर की है। इसमें आवश्यकता पड़ने पर आई ओ डब्लू की सहायता ली जा सकती है।	प्रमुइं सभी प्रविभागाध्यक्ष एवं सभी मंरेप्र	अनुपालन हेतु नोट किया गया। नोट किया गया। **–प्रमुसाप्र** सेवानिवृत्त होनेवाले कर्मचारी, सेवानिवृत्त होने के समय अपने क्वाटर खाली करने की सूचना IOW के माध्यम से कार्मिक विभाग को दे देते है। खाली किया गया क्वार्टर अन्य कर्मचारी को प्राथमिकता के आधार पर आवंटित कर दिया जाता है।**– प्रमुवाप्र** नोट किया गया ।**–प्रमुपरिप्र** सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों का आवास सुरक्षा विभाग द्वारा बिजली एवं IOW द्वारा जारी प्रमाण–पत्र के बाद ही टेक ओवर किया जाता हैं। **–प्रमुसुआ** नोट किया गया। –**प्रमुविइं** नोट किया गया। **–मुसंधि** अनुपालन हेतु नोट किया गया। –**प्रमुसिदूइं** इसे नोट किया गया।**– प्रविस** सुनिश्चित किया जाता है।–**प्रमुचिनि** कार्मिक विभाग इससे सहमत है। **–प्रमुकाधि** नोट किया गया ।**–मंरेप्र धनबाद** सुझाव नोट किया गया। आवश्यकतानुसार संबंधित IOW की सहायता ली जाती है। **–मंरेप्र समस्तीपुर** इस मंडल में लागू है। – **मंरेप्र मुगलसराय** अनुपालन किया जाता है। **–मंरेप्र सोनपुर**
9.2	निर्माण संगठन को पीएफ अग्रिम निकालने में होने वाली परेशानियों को दूर किया जाय।	प्रविस	ऐसी किसी परेशानी से मुख्यालय भविष्य निधि अनुभाग अवगत नही है। भविष्य निधि अग्रिम पारित करते समय अनुभाग द्वारा सभी संगठन एवं विभाग के साथ समान व्यवहार किया जाता है।
9.3	निरीक्षकों की इन हाउस प्रशिक्षण	सभी	निरीक्षकों को इन हाउस प्रशिक्षण की

	की व्यवस्था की जाय।	प्रविभागाध्यक्ष	व्यवस्था वर्ष 2018 में "सक्षम"प्रशिक्षण के तहत वाणिज्य विभाग में कराई गई। प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या निम्नवत है। जेड0आर0टी0आई0 में प्रशिक्षित "सक्षम" निरीक्षक की संख्या :–49 इन हाउस में प्रशिक्षित "सक्षम" निरीक्षक की संख्या :–20 सीतारा सिकंदराबाद में प्रशिक्षित "सक्षम" निरीक्षक की संख्या :–03 **– प्रमुवाप्र** नोट किया गया। **–प्रमुसाप्र** समय समय पर कार्यशाला आयोजित कर इस तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है।**–प्रमुपरिप्र** नोट किया गया। –**प्रमुविइं** नोट किया गया। **–मुसंधि** अनुपालन हेतु नोट किया गया। –**प्रमुसिदूइं** समय समय पर कार्मिक विभाग के कर्मचारियों को इन हाउस प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाती है। प्रोजेक्ट सक्षम के अंतर्गत इनहाउस प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। **–प्रमुकाधि** नियमानुसार निरीक्षकों का इन हाउस प्रशिक्षण की व्यवस्था मौजूद है। इसे और दूरूस्त किया जा रहा है।**– प्रमुइं**
9.4	परिचालन से संबंधित कर्मचारियों को संरक्षा संबंधी सामग्री अवश्यक रूप से उपलब्ध कराया जाय।	प्रमुपरिप्र मुसंधि	रेलवे के नियमानुसार संरक्षा संबंधी सामग्री उपल्बधा कराया जाता है। संरक्षा संबंधी सभी सामग्री उपल्बधा कराया जाता है,परंतु यदि किसी साम्रग्री की कमी संज्ञान में आता है तो उसको उपलब्ध करा दिया जाता है अथवा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाती है।
9.5	रेट्रोरिफ्लेकटीव स्ट्रीप एवं ट्राईकलर टार्च इंजीनियरिंग विभाग को भी उपलब्ध कराया जाय।	प्रमूइं	रेट्रोरिफलेकटीव स्ट्रीप एवं ट्राईकलर टार्च इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारियों को आवश्यकता अनुसार उपलब्ध करा दिया जाता है।
9.6	टाईम टेबुल की गलतियों को	प्रमुपरिप्र	यह एक सामान्य प्रक्रिया है जिसे किया

	सुधारा जाय।		जा चुका है।
9.7	रेलवे बोर्ड के आदेशानुसार पूर्व मध्य रेल के जंक्शन स्टेशन की कंजेशन को कम करने के लिए आवश्यक वाईपास डाइवर्जन एवं फ्लाईओवर की योजना रेलवे बोर्ड को भेजा जाना चाहिए।	प्रमुपरिप्र प्रमूइं	आवश्यक फ्लाई ओवर/आर0 ओ0 आर0 रेलवे बोर्ड द्वारा 07 फ्लाइ ओवर की स्वीकृति सर्वे हेतु प्राप्त हुआ है जिस पर कार्रवाई की जा रही हैं। निर्माण विभाग से संबंधित है।

*****